राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं
2, जलपथ गांधी नगर, जयपुर

एफ.4 (1)( )पो/SHG/मबावि/2005 जयपुर, दिनांक

उप निदेशक (बाल विकास)
समेकित बाल विकास सेवाएं
उदयपुर/राजसमंद/भीलवाड़ा
एवं चित्तौड़गढ़।

विषय :- स्टरलाईट फाउण्डेशन के द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध कराये जा रहे नाश्ते के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य के चार जिलों–उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद एवं चित्तौड़गढ़ के 400 आंगनबाड़ी केन्द्रों को सुदृढ़ बनाने एवं आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग, स्टरलाईट फाउण्डेशन, मुम्बई तथा हिन्दुस्तान जिंक, उदयपुर के मध्य त्रिपक्षीय समझौता पत्र दिनांक 30.03.2008 को माननीया मुख्यमंत्री महोदया के समक्ष हस्ताक्षरित किया गया था अब उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या बढ़कर लगभग 1000 हो गई है। विभाग के यह ध्यान में लाया गया है कि स्टरलाईट फाउण्डेशन तथा हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा चयनित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आयुवर्ग 3–6 वर्ष के बच्चों को 50 ग्राम पौहा एवं 10 ग्राम मूंगफली खाद्य तेल में फ्राई करके नाश्ते के रूप में प्रतिदिवस वितरण किया जा रहा है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा आयुवर्ग 3–6 वर्ष के बच्चों को नाश्ते के रूप में 50 ग्राम बेबी मिक्स/पंजीरी पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस प्रकार नाश्ते के लिए **दोहरी व्यवस्था हो रही है। अतः इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते हैं कि जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर** स्टरलाईट फाउण्डेशन एवं हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा नाश्ता उपलब्ध करवाया जा रहा है वहां विभाग द्वारा नाश्ता उपलब्ध नहीं कराया जावे। ऐसे केन्द्रों पर उपलब्ध 600 ग्राम साईज के पाउच को अतिकुपोषित बच्चों को घर पर उपयोग हेतु पोषाहार वितरण के लिए करें। केन्द्रों पर ऐसे पोषाहार की आवश्यकता नहीं होने पर अथवा आवश्यकता से अधिक होने पर अन्य केन्द्रों को स्थानान्तरित कर दिया जावे। किसी भी परिस्थिति में पूरक पोषाहार खराब/अवधिपार नहीं होना चाहिए। इस सम्बन्ध में आप अपने अधीनस्थ बाल विकास परियोजना अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करें एवं परियोजना के शेष आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए ही नाश्ते हेतु आवश्यक पूरक पोषाहार की मात्रा की गणना कर निदेशालय को अवगत करावें ताकि आगामी माहों में मांग की गई मात्रा का ही आवंटन किया जा सके। पूर्व की अवशेष मात्रा को ध्यान में रखकर पोषाहार की मांग की जावें।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं,
राज. जयपुर।

एफ.4 (1)( )पो/SHG/मबावि/2005 59971-60015 जयपुर, दिनांक 8/9/09

**प्रतिलिपि** :- बाल विकास परियोजना अधिकारी,...............जिला...............को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेब साईट पर लोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)